प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 118/2022 (2022/440)

1. रोडू पुत्र हीरालाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम सरसडी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

----प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. तहसीलदार केकड़ी, तहसील कार्यालय केकड़ी जिला अजमेर
2. कैलाश पुत्र रामकरण जाति कुम्हार
3. कालू पुत्र रामदेव जाति कुम्हार
4. गीता देवी पत्नि रामदेव जाति कुम्हार
5. नारायणी पुत्री रामदेव जाति कुम्हार
6. रामकिशन पुत्र रामकरण जाति कुम्हार
7. रामप्रसाद पुत्र रामदेव जाति कुम्हार
8. रामलाल पुत्र रामकरण जाति कुम्हार
9. कन्हैयालाल पुत्र मोहनलाल जाति महाजन
10. कमला देवी पुत्री मोहनलाल जाति महाजन
11. कैलाश देवी पुत्री मोहनलाल जाति महाजन

समस्त निवासीगण सरसडी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

---अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः–
श्री शिवप्रसाद पाराशर :– अधिवक्ता प्रार्थी
पेराकार सरकार :– जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 11.05.2023

पत्रावली प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर आज प्राशासन गांवो के संग अभियान केम्प जूनियां में पेश हुई। प्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत वादवर्णित आराजीयात वाके ग्राम सरसड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
297–275	1269/877	0.37	बा.उ.
	कुल किता 1	**कुल रकबा 0.37 हैक्टर**	

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी के कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य की आराजीयात है जिसमें प्रार्थी का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। प्रार्थी अपने कृषि आराजीयात में तारबंदी का कार्य करवाना चाहता है जिसके लिए पडोसियों से रास्ते की भूमि को लेकर कोई विवाद ना हो इसके लिए प्रार्थी अपनी आराजीयात पर पत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रार्थी की आराजीयात का प्रतिवादी द्वारा 2 बार सीमाज्ञान किया जा चुका है लेकिन प्रतिवादीगण व प्रार्थी का मोके पर सीमा को लेकर विवाद है इसलिए प्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजीयात को स्थायी पत्थरगढी करवाना चाहते है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किये गये

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

सीमाज्ञान से प्रार्थी कतई सन्तुष्ट नही है इसलिए वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है जिससे यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है। प्रार्थी की आराजीयात का दो बार सीमाज्ञान करवाने के उपरान्त भी अप्रार्थीगण दिनांक 30.05.2022 को प्रार्थी की आराजीयात में आये दिन सीमाज्ञान का उल्लंघन कर अनाधिकृत रूप से प्रवेश करते है जिससे मौके पर विवाद होने की पूर्ण संभावना है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की खातेदारी की आराजी की स्थायी पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 2 लगायत 11 बावजूद सूचना उनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी की ओर से जवाब [illegible] की टिप्पणी अंकित की गई जिसके अनुसार प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी खातेदारी में दर्ज है, राजहित प्रभावित नही होता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया। प्रार्थी, प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम सरसडी तहसील केकडी की जमाबन्दी के खाता संख्या नया पुराना 297–275 में दर्ज खसरा संख्या 1269/877 रकबा क्रमशः 0.37 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प जूनियां में मजमे आम में सुनाया गया।

(विकास पचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जि. अजमेर